

289  
03/04/2013

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग



क्रमांक: प.10(क)(गठन/श्रेणी)( ) डीएलबी/2013/ 906 जयपुर, दिनांक 28-3-13

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009(अधिनियम, संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 5 एवं अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग)(341) नियम/श्रेणी/डीएलबी/12/3825 दिनांक 30.04.12 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वितीय श्रेणी की निम्नांकित नगर पालिका को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से क्रमोन्नत कर नगर परिषद घोषित करती है। इनकी स्थानीय सीमायें वर्तमान स्थानीय सीमाएँ ही रहेगी :-

क्र. सं.	नाम नगरपालिका द्वितीय श्रेणी	क्रमोन्नत नगर परिषद में
1.	नगरपालिका मकराना	नगर परिषद मकराना ✓
2.	नगरपालिका गंगापुरसिटी	नगर परिषद गंगापुरसिटी ✓
3.	नगरपालिका हिण्डौनसिटी	नगर परिषद हिण्डौनसिटी ✓
4.	नगरपालिका भिवाडी	नगर परिषद भिवाडी ✓
5.	नगरपालिका बालोतरा	नगर परिषद बालोतरा ✓
6.	नगरपालिका सुजानगढ़	नगर परिषद सुजानगढ़ ✓

उप शासन सचिव  
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ताराचन्द मीणा)  
शासन उप सचिव

क्रमांक प.10(क)(गठन/श्रेणी)( ) डीएलबी/2013/ 907-1165 दिनांक 28-3-13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज विभाग जयपुर।
03. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. सचिव महोदय, राज्य वित्त आयोग, राज0 जयपुर।
05. सचिव महोदय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0 जयपुर।
06. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
07. निजी सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं राजस्थान।
12. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
14. समस्त अधिकारीगण निदेशालय एवं उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त राज0।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, को अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु।
16. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियों उपलब्ध कराये जाने हेतु।
17. समस्त अनुभाग, निदेशालय।
18. सुरक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी  
सहायक निदेशक निदेशालय  
स्थानीय निदेशालय  
राजस्थान, जयपुर

AD 19  
2014  
8/4/14